पत्रांक–04 / बुडा -01/2019– / न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जयप्रकाश मंडल,
विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक–

विषय :– नगर विकास एवं आवास विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यालयों (BUDA/DMA/BGCMS) के किराया एवं आकस्मिक व्यय के भुगतान हेतु रू0 100.00 लाख रू0 (एक करोड़ रू0 मात्र) की सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2019–20 में निकासी की स्वीकृति।

आदेश :– स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यालयों (BUDA/DMA/BGCMS) के किराया एवं आकस्मिक व्यय के भुगतान हेतु रू0 100.00 लाख रू0 (एक करोड़ रू0 मात्र) की सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2018–19 में निकासी की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिस राशि की निकासी कोषागार से कतिपय कारणों से नहीं की जा सकी थी। इसलिए स्वीकृत्यादेश सं0–164 दिनांक–19.03.2019 एवं आवंटनादेश सं0–125 दिनांक–19.03.2019 को रद्द किया जाता है तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 में विभागीय नियंत्रणाधीन कार्यालयों (BUDA/DMA/BGCMS) के किराया एवं आकस्मिक व्यय के भुगतान हेतु रू0 100.00 लाख रू0 (एक करोड़ रू0 मात्र) की सहायक अनुदान के रूप में निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. स्वीकृत राशि रू0 100.00 लाख रू0 (एक करोड़ रू0 मात्र) की राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की एक मुश्त निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 के अंतर्गत सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा बुडा कार्यालय के बैंक खाता–BIHAR URBAN DEVELOPMENT AGENCY, PATNA, A/C NO.-163010100019926, IFSC CODE- ANDB0001630, BANK NAME- ANDHRA BANK में अंतरित की जायेगी।

3. उक्त राशि की निकासी वित्त विभागीय परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17.04.98 एवं पत्रांक–256 दिनांक–26.02.2019 के अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

4. वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं.–7355 वि (2) दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में विषयांकित मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

5. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में महालेखाकर, बिहार, पटना को उपलब्ध करायी जायेगी।

6. स्वीकृत राशि 100.00 लाख रू0 (एक करोड़ रू0 मात्र) राशि मांग सं.–48–मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास–उप मुख्य शीर्ष–05– अन्य शहरी विकास परियोजनाएँ –लघु शीर्ष–001 निदेशन और प्रशासन, उप शीर्ष–0102– योजनाओं का अनुश्रवन / मूल्यांकन / पर्यवेक्षण एवं राज्य संसाधन केन्द्र की स्थापना एवं अन्य समतुल्य कार्यक्रमों हेतु, विपत्र कोड–48-2217050010102, विषय शीर्ष–31, सहायता अनुदान–0102.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन के अलावा राज्य योजना मद में उपबंधित राशि 100.00 लाख रू0 (एक करोड़ रू0 मात्र) से 2019–20 में विकलनीय होगा।

7. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। चूंकि यह राशि सहायक अनुदान की है और योजनाओं के अनुश्रवन/मूल्यांकन/पर्यवेक्षण एवं राज्य संसाधन केन्द्र की स्थापना एवं अन्य समतुल्य कार्यक्रमों के लिए व्यय किया जाना है। इसलिए राशि की निकासी (BTC) फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। राशि की निकासी के लिए CFMS के माध्यम से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।

8. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्टरों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का अधिकार होगा।

9. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार विभागीय सचिव का अनुमोदन संचिका के पृ.–7/टि. पर दिनांक–20.06.2019 को प्राप्त है ।

10. प्रस्ताव में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृष्ठ–7/टि. पर दिनांक–20.06.2019 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–04/बुडा-01/2019– / न०वि०एवंआ०वि० / पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि :–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
विशेष सचिव।

ज्ञापांक–04/बुडा-01/2019– 25 / न०वि०एवंआ०वि० / पटना, दिनांक– 21/6/19
प्रतिलिपिः–वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार पटना/ अपर सचिव–सह–उप निदेशक, बुडा/प्रशाखा पदाधिकारी –सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/मा0 मंत्री, के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/प्रशाखा–2(बजट)/लेखापाल, बुडा/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21.6.19
विशेष सचिव।